तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
08.01.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम सोलाना पटवार मण्डल सोलना तहसील चिड़ावा स्थित भूमि खसरा नंबर 493 रकबा 0.30 हैक्टे0 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिसका सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 05.07.2020 को हो चुका है। अतः प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है। **आदेश** उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम सोलना पटवार मण्डल सोलना तहसील चिड़ावा स्थित भूमि खसरा नंबर 493 रकबा 0.30 हैक्टे0 की प्रार्थीगण, अन्य सहखातेदारान व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 05.07.2020 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार चिड़ावा को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा (झुंझुनू)	